सप्लाई विविध प्रकरण सं 10/2017

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर0ए0एस

सप्लाई विविध प्रकरण सं 10/2017

प्रार्थी

प्रवर्तन अधिकारी
जिला रसद अधिकारी कार्यालय,
जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

श्री सुरताराम व्यवस्थापक
महिला सहकारी समिति
ग्राम पंचायत धुन्धाडा, तहसील लूणी
जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल आदेश 2001

उपस्थित

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी
2. अप्रार्थी बावजूद इत्तला तामिल नोटिस के गैर हाजिर।

आदेश दिनांक 20.03.2018

यह प्रकरण प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद अधिकारी, कार्यालय जोधपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल आदेश 2001 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विशेष जांच दल ने दिनांक 01.06.2017 को महिला सहकारी समिति धुन्धाडा तहसील लूणी तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक को जांच पश्चात् महिला सहकारी समिति धुन्धाडा दुकान निलम्बित की गई। दुकान पर दिनाक 01.09.2016 से निलम्बित होने से पूर्व में स्टॉक अंकेक्षण बाद शेष स्टॉक में हस्तानान्तरण की जांच की गई।

धुन्धाडा महिला सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री सुखाराम ने अपने बयान में चीनी का स्टॉक शुन्य बताया व अस्थाई अटैच दुकान के केवल गेहूँ की हस्तान्तरित करना स्वीकार किया। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्टॉक में 1135.500 क्विंटल चीनी का इन्द्राज मिला।

व्यवस्थापक धुन्धाडा महिला सहकारी समिति की दुकान/गोदाम खुलवाकर अवलोकन किया गया जिसमें चीनी मौजूद मिली। दुकान में उपलब्ध चीनी की तौल करने पर 11.19 क्विंटल चीनी पाई गई । रिकोर्ड की जांच के अनुसार सितम्बर 2016 से वक्त जांच तक 27.50 क्विंटल चीनी की आमद

हुई जिसके पॉश मशीन सं 10239 द्वारा 22.80.500 क्विंटल चीनी का वितरण हुआ है। इस प्रकार शेष स्टॉक 4.69.500 क्विं चीनी होना चाहिये, किन्तु दुकान में 11.59 क्विं चीनी भौतिक रुप से पाई गई। उक्त चीनी का उपभोगताओं का वितरण नहीं कर दुकानदार द्वारा बचा ली गई तथा पॉश से वितरण दर्शाकर स्वयं की दुकान में रख ली चीनी का दुरूपयोग करने के उद्देश्य से अटैच दुकान को भी नहीं संभलाया गया। इस प्रकार उक्त चीनी 11.19 क्विं पाई गई जो खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमयन आदेश 1976 के तहत जारी उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण जब्त सरकार की गई। उक्त चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोकताओं को वितरणकी जाने वाली है। उक्त चीनी के निस्तारण के आदेश दिये जाने का आग्रह किया।

हमने प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया जो विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया । नोटिस में अंकित नियत तारीख पेशी 07.02.2018 को अप्रार्थी श्री सुखाराम व्यवस्थापक महिला सहकारी समिति धुन्धाडा अनुपस्थित रहा। वक्त निर्णय तक वह उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पर इकतरफा निर्णय पारित किया जाता है। अप्रार्थी के महिला सहकारी समिति धुन्धाडा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 77 (1) खा.वि./सत/जोधपुर/17 ए दिनांक 27.05.2017 तीन सदस्यों की जांच दल जो प्रवर्तन अधिकारी जयपुर के द्वारा की गई उक्त जांच दल ने महिला सहकारी समिति ग्राम पंचायत धुन्धाडा के दुकान/गोदाम की जांच की गई । उक्त जांच प्रतिवेदन में डीलर द्वारा वितरण कार्य में गंभीर अनियमिताएं किया जाना पाया गया है।

अप्रार्थी सुरताराम व्यवस्थापक महिला सहकारी समिति धुन्धाडा का निलम्बित के वक्त सुरताराम ने अपने बयान में चीनी का स्टॉक शुन्य बताया व अटैच दुकन के केवल गेहूँ का हस्तान्तरित किया। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्टॉक में 11.35.500 क्विं चीनी का इन्द्राज मिला। अप्रार्थी की दुकान/गोदाम खुलवाकर जांच करनेपर 11.19 क्विं चीनी पाई गई । रिकार्ड की जांच अनुसार सितम्बर 2016 से वक्त जांच तक 27.50 क्विं चीनी आमद हुई। पॉश मशीन सं 10239 द्वारा 22.80.500 क्विं चीनी का वितरण हुआ है। इस प्रकार शेष स्टॉक 4.69.500 क्विं चीनी होना चाहिये किन्तु दुकान में 11.19 क्विं चीनी भौतिक रूप से पाई गई। जो राजसात (Confiscate)किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी जोधपुर को निर्देश है कि अप्रार्थी सुरताराम व्यवस्थापक महिला सहकारी समिति ग्राम पंचायत धुन्धाडा तहसील लूणी जिला

जोधपुर के दुकान/गोदाम से जब्त चीनी मात्रा 11.19 क्विं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करवाई जावे। निर्णय की एक प्रति जिला रसद अधिकारी जोधपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर